राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

कुमारी सुनीता चौहान बनाम हनुमानसिंह उर्फ हिम्मतसिंह व अन्य।

एकल पीठ सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 1160/2000 अन्तर्गत धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम 1988 विरुद्व निर्णय दिनांक 23/6/2000, जो श्रीमती मीना वी.गोम्बर, न्यायाधीश, मोटर वाहन दुर्घटना वाद अधिकरण,अजमेर द्वारा मोटर वाहन प्रकरण संख्या 481/98 (209/92) में पारित किया गया है।

दिनांक:24.12.2010

माननीय न्यायाधिपति श्री सज्जनसिंह कोठारी

अपीलार्थिनी की ओर से अधिवक्ता श्री रेशम भार्गव उपस्थित।
प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार सैनी उपस्थित।
प्रत्यर्थी संख्या 3 बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री रिजवान अहमद उपस्थित

न्यायालय द्वारा-

1- प्रस्तुत सिविल विविध अपील मोटर वाहन दुर्घटना वाद अधिकरण, अजमेर (जिसे आगे केवल अधिकरण ही लिखा जायेगा) के निर्णय दिनांक 23/6/2000 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2- संक्षिप्त तथ्य एवं पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि दिनांक 8/4/92 को प्रार्थिनी कुमारी सुनीता चौहान टांक शिक्षा निकेतन स्कूल, पुलिस लाईन, अजमेर में अध्यापिका के रुप में कार्यरत रहते हुए स्कूल के प्रिन्सिपल, कुछ अध्यापकों, कर्मचारियों तथा स्कूल के 45 बच्चों के साथ मिनी बस संख्या आर.जे.01-253 में बैठकर बच्चों को विभिन्न स्थान दिखाने हेतु जा रही थी। क्लेम आवेदन में अंकित है कि उक्त वाहन प्रात: 8.00 से 2.00

बजे तक के लिये बुक था तथा इसे 3.00 बजे अन्य बुकिंग हेतु ब्यावर जाना था। इस कारण बस चालक ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाया, मना करने पर भी नहीं माना और किशनगढ बाई पास रोड पर तेजी से टर्न लेने के कारण गाडी का फाटक खुल गया। इससे प्रार्थिनी और एक बच्चा सूर्यप्रकाश अग्रवाल नीचे गिर गये। फिर भी बस चालक ने बस को काफी दूर जाकर रोका। प्रार्थिनी के सिर पर काफी चोटें आयीं जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु उसने अधिकरण में क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर विचारण के उपरान्त अधिकरण ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि दुर्घटना बस चालक की गफलत एवं लापरवाही के कारण होना सिद्व नहीं है और क्लेम आवेदन अस्वीकृत किया। इसी निर्णय दिनांक 23/6/2000 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिनी का तर्क है कि बस के चालक एवं परिचालक का यह दायित्व है कि वह सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। चालक को अपने वाहन को ऐसी सावधानी से चलाना चाहिये कि दुर्घटना घटित नहीं हो। फिर भी यदि दुर्घटना घटित होती है तो Res-ipsa l oquiter के सिद्वान्त के आधार पर दुर्घटना में चालक की गलती होना माने जाने योग्य है। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के बाद बस चालक के विरुद्व आरोप पत्र भी पेश किया है, अत: विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने मात्र से घटना को असत्य नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से दुर्घटना बस चालक की तेजी एवं लापरवाही के फलस्वरुप होना प्रमाणित है, अत: अपील स्वीकार कर दुर्घटना में आयी चोटों की क्षतिपूर्तिस्वरुप समुचित राशि दिलायी जावे या मामला अधिकरण को क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु प्रेषित किया जावे। इस मामले में तकनीकी दृष्टिकोण लेकर क्लेम आवेदन खारिज किया गया है।

4- इसके विरोध में बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस मामले में न केवल चोट प्रतिवेदन तथा एक्सरे ही घटना के 8 दिन बाद हुए हैं अपितु प्रथम सूचना रिपोर्ट 23 दिन बाद प्रस्तुत की गयी है और वह भी प्रार्थिनी तथा बस में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु प्रार्थिनी के भाई द्वारा जिसका कि दुर्घटना देखने से दूर-दूर तक का कोई संबंध नहीं है। बस में 50 से अधिक व्यक्ति बैठे थे किन्तु एक को भी पेश नहीं किया गया है। इसी बस में बैठा व प्रार्थिनी के साथ गिरकर आहत हुआ बालक सूर्यप्रकाश अग्रवाल भी पेश नहीं हुआ है। बस में बैठे अन्य आहत

भी पेश नहीं हुए हैं। बस में स्कूल के प्रिन्सिपल एवं अन्य अध्यापक बैठे थे किन्तु इनमें से किसी के द्वारा, यहां तक कि बालक सूर्यप्रकाश के अभिभावक द्वारा भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है। अपीलार्थिनी की चोट का उपचार करने वाला कोई चिकित्सक पेश नहीं हुआ है। वाहन का हैण्डल एवं फाटक खराब होने बाबत न तो बस का मैकेनिकल मुआयना हुआ है, न ही इस बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई है। नक्शा दुर्घटना के 26 दिन बाद बनाया गया है जो मौके की स्थिति के संबंध में कोई महत्व नहीं रखता। कुल मिलाकर यह मामला ऐसा है जिसमें वास्तव में इस बस से दुर्घटना घटित होना ही नहीं माना जा सकता और यदि क्षण भर के लिये ऐसा मान लिया जाये तो भी दुर्घटना में बस चालक की लापरवाही कतई प्रमाणित नहीं है। यह भी सन्देह समक्ष आता है कि अपीलार्थी के चोटें इस दुर्घटना में आयी भी या नहीं। चोटों की अवधि तक चोट प्रतिवेदन में अंकित नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह चोट प्रतिवेदन तैयार होने के 8 दिन पूर्व की चोटें अपीलार्थिनी के शरीर पर पाई गयीं। उनके अनुसार अधिकरण का निष्कर्ष पूर्णत: उचित है, अत: अपील अस्वीकृत की जावे।

5- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर विचार कर आक्षेपित निर्णय एवं अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

6- उल्लेखनीय है कि दुर्घटना, क्लेम आवेदन में अंकित तथ्यों तथा दुर्घटना में ही चोटों के कारित होने को सिद्व करने हेतु केवल अपीलार्थिनी ही अधिकरण में पेश हुई है। अन्य किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अपीलार्थिनी का अधिकरण में कथन है कि यह मिनी बस में शैक्षणिक भ्रमण हेतु बच्चों को ले जा रही थी। बस का बुकिंग का समय 8.00 बजे का था किन्तु बस चालक 9.00 बजे बस लेकर आया। बस में श्री वीरसिंह टाक, प्रिन्सिपल, राजू आदि तीन अध्यापक तथा 45 बच्चे थे। जब बस आकाशवाणी भवन पर आयी तो बस चालक जल्दी में था क्यों कि आगे 3.00 बजे से उसकी दूसरी बुकिंग थी, इसलिये उसने वाहन तेजी से चलाया। इन्होंने धीरे चलने के लिये कहा तो उसने कहा कि 3.00 बजे ब्यावर जाना है। इन्होंने फिर भी दोपहर 2.15 बजे आकाशवाणी पर बस को रुकवाया और बच्चों को आकाशवाणी दिखाई और वापस बस में आकर बैठ गये। इसके बाद बस चालक ने बस को तेज चलाकर बहुत तेज कट मारा जिससे बस का दरवाजा एकदम खुला और यह बाहर गिर गई।

बस चालक ने फिर भी 100 कदम की दूरी पर जाकर बस को रोका जिससे इसके चोटें आयीं। इसके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी। बस में बैठे बच्चों में देवीलाल, सुरेन्द्र, चित्रा तथा सूर्यप्रकाश अग्रवाल भी थे जिनके चोटें आयीं। इनमें सूर्यप्रकाश इसके पास सीट पर बैठा था जो भी इसके साथ ही बस के बाहर गिर गया। बस की गति लगभग 50 कि.मी. प्रति घण्टा थी। प्रतिपरीक्षा में यह स्वयं कथन करती है कि यह बस में सीट के आगे गेट के पास लगी मुडडी पर बैठी हुई थी और जहां घटना घटी, वहां मोड था। जब मोड पर गाडी मुडी तो इसकी टक्कर दरवाजे पर लगी जिसके कारण गेट खुल गया और यह नीचे गिर गयी।

7- सर्वप्रथम तो इसके कथनों में ही यह स्पष्ट है कि यह बस में गेट के पास लगी मुडडी पर बैठी थी और वहां भी संभलकर नहीं बैठी जिसके फलस्वरुप गाडी मुडने पर यह दरवाजे से टकरायी जिसके कारण बस का दरवाजा खुल गया। इसने इस संबंध में कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया है कि यह स्कूल प्रशासन के निर्देशन में बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु ले जा रही थी। यदि इसके अनुसार बस का समय 8.00 बजे से 2.00 बजे तक था, फिर 2.15 बजे आकाशवाणी पर पहुंचने के बाद भी आगे और स्थान पर ले बस जाने के लिये चालक को क्यों कहा गया और विशेष रुप से इस स्थिति में जब कि चालक को पूर्व बुकिंग के अनुसार 3.00 बजे ब्यावर पहुंचना था। बस में इसके अनुसार श्री वीरसिंह टॉक प्रिन्सिपल, राजू तथा दो अन्य अध्यापक एवं 45 बच्चे थे। प्रिन्सिपल श्री टॉक इस संबंध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्षी हो सकते थे जो इस भ्रमण ग्रुप के इन्चार्ज होने के कारण बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण हेतु बस की बुकिंग के समय आदि सभी तथ्यों से अवगत करा दुर्घटना के संबंध में प्रकाश डाल सकता था। जब बच्चे स्कूल से शैक्षणिक भ्रमण हेतु निकले थे तो यदि दुर्घटना हुई होती तो कोई कारण नहीं था भ्रमण टूर का वरिष्ठतम व्यक्ति इंचार्ज प्रिन्सिपल, घटना की रिपोर्ट थाने में पेश नहीं करता और उसमें बालक सूर्यप्रकाश तथा अध्यापिका सुनीता के चोटें आना व्यक्त नहीं करता। इसके द्वारा पुलिस एवं स्कूल प्रशासन को भी अवश्य ही दुर्घटना के बारे में अवगत कराता जाता। इसकी ओर से कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई है और दुर्घटना में इतनी चोटग्रस्त होने के बावजूद अपीलार्थिनी ने भी स्कूल प्रशासन या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी और न बस मालिक को चालक की लापरवाही के बारे में बताया गया। यहां तक कि दुर्घटना की तारीख दिनांक 8/4/92

के बाद आगामी 8 दिनों तक भी अपनी चोटों का अस्पताल जाकर मुआयना तक नहीं कराया। इस 8 दिन की अवधि में कहीं भी जाकर उपचार कराने का लेशमात्र भी प्रमाण पेश नहीं हुआ है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श-4 में भी अंकित नहीं है कि इसमें दर्शित चोटें मुआयने के लगभग 8 दिन पूर्व आयी हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थिनी के चोटें दुर्घटना में आना ही प्रमाणित नहीं होता। अपीलार्थिनी का यह कथन भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि बस में से दो सवारियों के गिर जाने पर भी बस चालक ने बस को कहने पर भी नहीं रोका और 100 कदम की दूरी पर जाकर रोका। इसने इस बस की गति हाई-वे पर 50 कि.मी. प्रति घण्टा बतायी है जो भी अधिक नहीं कही जा सकती है।

8- उल्लेखनीय है कि बस में बैठे प्रिन्सिपल, तीन अध्यापक तथा 45 बच्चे या इनके अभिभावकों ने पुलिस में या स्कूल प्रशासन को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी। वहीं स्वयं अपीलार्थिनी ने भी इस संबंध में लगभग 23 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की और 23 दिन बाद भी पुलिस में रिपोर्ट इसके भाई ने प्रस्तुत की जिसे घटना के बारे में कोई भी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी। इस रिपोर्ट प्रदर्श 1 में अंकित तथ्य अपीलार्थिनी के कथनों से पूरी तरह मेल नहीं खाते। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने घटना के 26 दिन बाद जो नक्शा बनाया है, वह भी प्रकरण विशेष के तथ्यों में बिना प्रमाणित किये विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। यह नक्शा बनाने के समय मौके की स्थिति पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी थी। पुलिस ने बस का मैकेनिकल मुआयना नहीं कराया तथा उनके द्वारा बस को जब्त किया जाना भी प्रतीत नहीं होता। इस नक्शे मौके में बस के फाटक की चिटकनी तथा हैण्डल का खराब होना बताया गया है किन्तु यह स्थिति किसी भी साक्ष्य से समर्थन प्राप्त नहीं करती। यह नक्शा मौका प्रिन्सिपल वीरसिंह टॉक तथा जिन अन्य गवाहान के सामने बनाया गया है, उनमें से किसी को भी पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थिनी का भाई जिसने दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी, वह स्वयं भी पेश नहीं हुआ है और न ही बस में बैठे 50 व्यक्तियों में से ही कोई पेश हुआ है। बालक सूर्यप्रकाश भी दुर्घटना में आहत होना बताया गया है किन्तु इसकी चोटों का कोई प्रतिवेदन पेश नहीं हुआ है और न इसे पेश किया गया है। इसके अभिभावक भी पेश नहीं हुए हैं जो अपीलार्थिनी के बताये अनुसार दुर्घटना में सूर्यप्रकाश का चोटग्रस्त होना व्यक्त करते। कोई भी चिकित्सा अधिकारी पेश नहीं हुआ है जिसने

अपीलार्थिनी की चोटों का उपचार किया। क्लेम आवेदन में अंकित है कि जे.एल.एन.चिकित्सालय, अजमेर के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ0 कविया ने घायल को संभाला किन्तु न वे पेश हुए हैं और न ही कोई अन्य उपचार करने वाला चिकित्सक। अपीलार्थिनी ने प्राईवेट अस्पताल में भी अपना इलाज कराना बताया है किन्तु वहां का भी कोई डॉक्टर पेश नहीं हुआ है और न ही अस्पताल का कोई अभिलेख ही पेश किया गया है जो यह सिद्व करे कि अपीलार्थिनी दुर्घटना की कथित तारीख दिनांक 8/4/92 के बाद निरन्तर कुछ समय तक उपचाररत रही और उसके दुर्घटना में ही फ्रेक्चर हुआ तथा अन्य चोटें आयीं।

9- उक्त समस्त स्थिति एवं अभिलेख पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य का विस्तार से विवेचन करते हुए अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थिनी यह सिद्व करने में असफल रही है कि बस चालक की गफलत एवं लापरवाही तथा मोड पर मिनी बस को काटने से बस का गेट खुलकर दुर्घटना कारित हुई। अधिकरण द्वारा अपने निष्कर्ष के पक्ष में विस्तार से विवेचित कारण पूरी सही प्रतीत होते हैं जिनकी यहां पुनरावृत्ति नहीं कर मैं इनसे सहमति अभिव्यक्त करता हूं।

10- अपीलार्थिनी की ओर से अपने पक्ष में निम्न विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं:-

1- हिमाचल रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन बनाम रामकू एवं अन्य [2005 ACJ 1432] हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।

2- टेहाल सिंह एवं अन्य बनाम प्रगट सिंह एवं अन्य [2009 ACJ2703] पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय।

3- वर्गीस बनाम सन्नी [2009 ACJ 2704] केरला उच्च न्यायालय।

4- नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि0 बनाम जैनाब एवं अन्य [2009 ACJ 2 495] जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय।

5- हंसोदेवी बनाम श्री मूलचन्द [2006 WLC(Raj.)UC 486]

6- ओरियन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लि0 बनाम कमलादेवी एवं अन्य [2009 ACJ 2611] पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय।

11- मैंने उक्त विनिर्णयों का अवलोकन किया जो हस्तगत मामले के तथ्यों से पूरी तरह भिन्नता लिये हुए हैं। हमारे समक्ष विचाराधीन मामले में न तो यह सिद्व हुआ है कि बस अधिक गति में थी और न बस के चालक परिचालक की लापरवाही समक्ष आयी है, न ऐसा समक्ष आया है कि बस चालक ने उससे अपेक्षित आवश्यक सावधानी व्यवहार में नहीं ली। यहां

ऐसा भी सिद्व नहीं हुआ है कि टर्न लेने के कारण बस का दरवाजा खुल गया क्यों कि चिटकनी खराब थी और हैण्डल टूटा हुआ था। गेट के पास मुडडी पर बिना स्वयं को संभाले बैठने का कृत्य स्वयं अपीलार्थिनी की लापरवाही को दर्शाता है। बस यात्रियों से कम से कम इतना तो अपेक्षित है कि वे बस में बैठे हुए न्यूनतम आवश्यक सावधानी व्यवहार में लावें। एक अध्यापक से तो ऐसी विशेष अपेक्षा निश्चित ही की जा सकती है। यहां ऐसी स्थिति भी नहीं है कि चालक ने सवारियों को बस की छत पर बैठा दिया हो या बहुत अधिक सवारियों को भर लिया हो और ऐसी स्थिति दुर्घटना का कारण बनी हो। केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने और इस पर अनुसंधान के बाद आरोप पत्र पेश होने मात्र से क्लेम आवेदन के तथ्य सिद्व नहीं माने जा सकते। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आरोप पत्र मूलभूत साक्ष्य नहीं हैं और दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से हुई, इसे प्रथमत: सिद्व करने का भार तो निश्चित रुप से अपीलार्थिनी पर था जिसका निर्वहन करने में वह असफल रही है। दुर्घटना के 26 दिन बाद कैसे अपीलार्थिनी के भाई को बस का नंबर और दुर्घटना का सारा विवरण मालूम पडा, यह भी समक्ष नहीं आया है। ऐसे विवरण की सत्यता घटित हुए विलम्ब के कारण पूर्णत: संदिग्ध हो जाती है। यह विधि सुस्थापित है कि अपीलार्थिनी को कम से कम इस आशय की अत्यन्त आवश्यक एवं न्यूनतम साक्ष्य तो प्रस्तुत करनी ही थी कि जिससे यह सिद्व हो जाता कि दिनांक 8/4/92 को इसके बताये अनुसार बस से दुर्घटना होकर यह चोटग्रस्त हुई किन्तु इस स्थिति को प्रथमत: प्रमाणित करने में ही अपीलार्थिनी पूर्णत: असफल रही है और उसके द्वारा समक्ष लायी ससाक्ष्य से कई तरह के सन्देह समक्ष आते हैं। ऐसी स्थिति में मैं इस मत का हूं कि अधिकरण के विद्वान न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलार्थिनी का क्लेम सही प्रकार से अस्वीकृत किया है। ऐसे निष्कर्ष एवं निर्णय में हस्तक्षेप का कोई भी यथोचित आधार बताने में अपीलार्थिनी असफल रही है।

12- ऐसी स्थिति में ऊपर किये गये विवेचन के प्रकाश में अपील अपीलार्थी अस्वीकृत की जाती है।

(सज्जनसिंह कोठारी)
न्यायाधिपति

/राम/